हरियाणा सरकार
वास्तुकला विभाग
अधिसूचना
दिनांक 26 अक्तूबर, 1990

सं० सा० का० नि० 72/संवि०/अनु० 309/90.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा हरियाणा वास्तुकला तकनीकी (ग्रुप–ग) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

भाग–I—सामान्य

1. ये नियम हरियाणा वास्तुकला तकनीकी (ग्रुप–ग) सेवा नियम, 1990, कहे जा सकते हैं । संक्षिप्त नाम ।

2. इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :— परिभाषाएं ।

(क) "बोर्ड" से अभिप्राय है, अधीनस्थ सेवाएं प्रवरण बोर्ड ;

(ख) "मुख्य वास्तुक" से अभिप्राय है, वास्तुकला विभाग, हरियाणा का मुख्य वास्तुक ;

(ग) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति, जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी पदाधारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो ;

(घ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार ;

(ङ) "संस्था" से अभिप्राय है :—

(I) हरियाणा राज्य में लागू स्वीय विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था ; अथवा

(II) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था ;

(च) "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है :—

(I) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय ;

(II) 15 अगस्त, 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के परिणाम स्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि–पत्र (डिप्लोमा) या प्रमाण–पत्र की दशा में पंजाब, सिन्ध या ढाका विश्वविद्यालय ; या

(III) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो ;

(छ) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा वास्तुकला तकनीकी (वर्ग–ग) सेवा ;

पदों की संख्या तथा स्वरूप ।

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट "क" में बताए हुए पद होंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नए पद स्थाई तथा अस्थाई रूप से बनाने के सरकार के अंतर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

सेवा में भर्ती किए गए उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता, अधिवास तथा चरित्र ।

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह निम्नलिखित न हो :—

(क) भारत का नागरिक ; या

(ख) नेपाल की प्रजा ; या

(ग) भूटान की प्रजा ; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो जनवरी, 1962 के प्रथम दिन से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आया हो ; या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्री लंका तथा कीनिया, यूगांडा, तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) जांबिया, मलावी, जायरे और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आया हो ;

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) से सम्बन्धित ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो ।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसको इस में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, बोर्ड या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किए जाने के बाद ही दिया जा सकता है ।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह उस अंतिम उपस्थिति के विश्व-विद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, या संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण–पत्र और दो ऐसे अन्य ज़िम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके वैयक्तिगत जीवन में उससे भली–भांती परिचित हों और जो उसके विश्वविद्यालय, महा-विद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करें ।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जो बोर्ड को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से ठीक पहले अगस्त के प्रथम दिन को या उससे पहले सतह वर्ष की आयु से कम का या तीस वर्ष की आयु से अधिक का हो। आयु।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां मुख्य वास्तुक द्वारा की जायेंगी। नियुक्ति प्राधिकारी

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट 'ख' के खाना–3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में उपयुक्त परिशिष्ट के खाना–4 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं तथा अनुभव न रखता हो : अर्हताएं।

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव सम्बंधी अर्हताओं में बोर्ड या अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर पचास प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकेगी यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों में अपेक्षित अनुभव रखने वाली उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उनके लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये उपलब्ध न हो। ऐसा करने के लिये लिखित रूप में कारण दिये जायेंगे।

8. कोई भी व्यक्ति :— निरर्हताएं।

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली हो ; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुये किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के लिये अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

9(1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी। भर्ती का ढंग।

(क) वास्तुक सहायक की दशा में :— परिवीक्षा।

(i) वरिष्ठ नक्शानवीसों में से पदोन्नति द्वारा पचास प्रतिशत ; और

(ii) सीधी भर्ती द्वारा पचास प्रतिशत ; या

(iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(क) वरिष्ठ नक्शानवीसों की दशा में :—

(i) कनिष्ठ नक्शानवीसों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ग) वरिष्ठ नक्शानवीस (इंटीरियर डेकोरेटर) की दशा में :—

(i) सीधी भर्ती द्वारा सौ प्रतिशत ; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण द्वारा ।

(घ) वरिष्ठ नक्शानवीस (प्रतिमाकार) (माडलर) की दशा में :—

(i) सीधी भर्ती द्वारा सौ प्रतिशत ; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ङ) कनिष्ठ नक्शानवीस की दशा में :—

(i) सहायक नक्शानवीसों में से पदोन्नति द्वारा सड़सठ प्रतिशत ; और

(ii) सीधी भर्ती द्वारा तेंतीस प्रतिशत ; या

(iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(च) सहायक नक्शानवीसों की दशा में :—

(i) अनुरेखकों में से पदोन्नति द्वारा 33 प्रतिशत ; और

(ii) सीधी भर्ती द्वारा 67 प्रतिशत ; या

(iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(छ) अनुरेखक की दशा में :—

(i) सीधी भर्ती द्वारा शत प्रतिशत ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(ज) फैरो मुद्रक की दशा में:—

(i) फैरो खलासियों में से पदोन्नति द्वारा 100 प्रतिशत ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(iii) सभी पदोन्नतियां, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जायेंगी और अकेली ज्येष्ठता ऐसी पदोन्नतियों के लिये कोई अधिकार नहीं देगी ।

परिवीक्षा ।

10. (i) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिये और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेगा :—

परन्तु

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रति-नियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि में गिनी जायेगी,

(ख) स्थानांतरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की ओर गिनने दी जा सकती है, और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि, परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी किन्तु कोई व्यक्ति जिसने स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि पूरी होने पर यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा ।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो वह—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है ; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो;—

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ; या

(ii) उसके सम्बंध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन और शर्तें अनुज्ञात करें ।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी :—

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य तथा आचरण संतोषजनक रहा हो तो :—

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है ; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो—

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे सेवा से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा किया गया हो तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवात कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें अनुज्ञात करें ;

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिस में बढ़ाई गई अवधि भी यदि कोई हो, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

11. ज्येष्ठता सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी :

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां प्रत्येक संवर्ग के लिये ज्येष्ठता अलग-अलग निश्चित की जायेगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय बोर्ड द्वारा निश्चित योग्यता क्रम को परिवर्तित नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जायेगी :—

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य, स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य, स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ग) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनमें वे पदोन्नत या स्थानांरित किये गये; और

(घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी। अधिमान ऐसे सदस्यों को दिया जायेगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार, और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का दायित्व।

12. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिये आदेश दिये जाने पर ऐसा करने के लिये दायी होगा।

(2) सेवा में किसी सदस्य को सेवा के लिये निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है :—

(i) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण अथवा अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास है, या हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण अथवा विश्वविद्यालय ;

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो ; या

(iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय, जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर-सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) तथा खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय की सेवा के अधीन प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा।

वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा अन्य मामले।

13. वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए या बनाए गए हों अथवा इसके बाद अपनायें या बनायें जायें।

अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें ।

14. (1) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से सम्बंधित मामलों में सेवा के सदस्य समय समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 द्वारा नियंत्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शक्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के अधीन रहते हुये वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट "ग" में विनिर्दिष्ट हैं ।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 के नियम 9 के उप नियम (1) के खण्ड (ग) तथा खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वही होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट 'घ' में विनिर्दिष्ट हैं ।

टीका लगवाना ।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे, टीका लगवाएगा तथा पुनः टीका लगवाएगा ।

राजनिष्ठा की शपथ ।

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य को, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी ।

ढील देने की शक्ति ।

17. जहां सरकार की राय में इन नियमों के किसी उपबंध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहां वह कारण लिख कर आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकता है ।

विशेष उपबंध

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबंधन तथा शर्तें लगाना उचित समझे तो ऐसा कर सकता है ।

आरक्षण ।

19. इन नियमों में दी गई कोई बात राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विकलांग व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु इस प्रकार किये गये आरक्षणों की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी

निरसन तथा व्यावृत्ति ।

20. सेवा पर लागू कोई नियम तथा इन नियमों में से किसी के अनुरक्षण में कोई नियम जो इन नियमों के आरम्भ से परन्तु पहले लागू हो, इसके द्वारा निरसित किया जाता है :

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्यवाही इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया अथवा की गई समझी जायेगी ।

परिशिष्ट "क"

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या		जोड़	वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी		
1	2	3	4	5	6
1	वास्तुक सहायक	15	..	15	1640-60-2600-द0रो0-75-2900 रुपए जमा 100रु0 विशेष वेतन
2	वरिष्ठ नक्शा नवीस	12	..	12	1640-60-2600-द0रो0-75-2900 रुपए
3	वरिष्ठ नक्शानवीस इंटीरियर डेकोरेटर	..	1	1	1640-60-2600-द0रो0-75-2900 रुपए
4	वरिष्ठ नक्शानवीस प्रतिमाकार	2	..	2	1600-50-2300-द0रो0-60-2660 रुपए
5.	कनिष्ठ नक्शानवीस	23	..	23	1600-50-2300-द0रो0-60-2660 रुपए
6	सहायक नक्शा नवीस	11	..	11	1400-40-1800-द0रो0-50-2300 रुपए
7	अनुरेखक	11	..	11	975-25-1150-द0रो0-30-1540 रुपए
8	फैरो मुद्रक	2	..	2	950-20-1150-द0रो0-25-1500 रुपए

परिशिष्ट "ख"

(देखिये नियम 7)

क्रम संख्या	पद-नाम	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो ।	सीधी भर्ती अन्यथा नियुक्ति के लिये शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1	वास्तुक सहायक	अर्हता प्राप्त करने के बाद आठ वर्ष के अनुभव सहित वास्तुकला सहायकी में उपाधि-पत्र (डिप्लोमा)	वरिष्ठ नक्शानवीस के रूप में चार वर्ष का अनुभव
2	वरिष्ठ नक्शानवीस	अर्हता प्राप्त करने के बाद पांच वर्ष के अनुभव, सहित वास्तुकला सहायकी में उपाधि-पत्र (डिप्लोमा)	कनिष्ठ नक्शानवीस के रूप में चार वर्ष का अनुभव
3	वरिष्ठ नक्शानवीस (इंटीरियर डैकोरेटर)	अर्हता प्राप्त करने के बाद तीन वर्ष के अनुभव सहित इंटीरियर डैकोरेशन में उपाधि-पत्र (डिप्लोमा)	तीन वर्ष के अनुभव सहित इंटीरियर डैकोरेशन में उपाधि-पत्र (डिप्लोमा)
4	वरिष्ठ नक्शानवीस (प्रतिमाकार) (माडलर)	1. लकड़ी, प्लास्टर, प्लास्टिक में माडल तैयार करने के पांच वर्ष के अनुभव सहित मैट्रिक पास	1. मैट्रिक या उसके समकक्ष ।
		2. वास्तुक रेखांचित को पढ़ने तथा उन्हें लकड़ी, कार्ड बोर्ड तथा प्लास्टिक तथा अन्य सामग्री में माडलों में रूपांतरित करने के योग्य होना चाहिये	2. प्रतिमाकार के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ।

1	2	3	4
5	कनिष्ठ नक्शानवीस	अर्हता प्राप्त करने के बाद दो वर्ष के अनुभव सहित वास्तुकला सहायकी में उपाधि-पत्र (डिप्लोमा)	सहायक नक्शानवीस के रूप में तीन वर्ष का अनुभव
6	सहायक नक्शानवीस	वास्तुकला सहायकी में उपाधि-पत्र (डिप्लोमा)	अनुरेखक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव
7	अनुरेखक	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से ड्राईंग विषय सहित मैट्रिक या उसके समकक्ष अधिमान्यता, अनुरेखा कार्य में अनुभव या वास्तुकला सहायकी में उपाधि-पत्र (डिप्लोमा)।	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से ड्राईंग विषय सहित मैट्रिक या उसके समकक्ष
8	फैरोमुद्रक	—	1. फैरोवलासी के रूप में पांच वर्ष का अनुभव 2. मुद्रण मशीन चलाने के चार वर्ष के अनुभव सहित मैट्रिक पास।

टिप्पणी 1.—सीधी भर्ती की दशा में जहां कहीं वर्णित हो, अनुभव अर्हता प्राप्त करने के अधीन होना चाहिये।

2. सीधी भर्ती की दशा में विभागीय कर्मचारी जिनके पास डिप्लोमा इन सिविल में उपाधि-पत्र के साथ खाना-4 में दर्शाया गया अनुभव हो, योग्य होंगे।

परिशिष्ट "ग"

[देखिए नियम 14 (1)]

क्रमांक	पद का नाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय और अंतिम अपील प्राधिकारी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7
1	वास्तुक सहायक	मुख्य वास्तुक	(1) छोटी शास्तियां (i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर रखते हुए चेतावनी ; (ii) परिनिंदा . (iii) पदोन्नति रोकना (iv) उपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन द्वारा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी तथा संगम तथा व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण	मुख्य वास्तुक	सरकार	सरकार
2	वरिष्ठ नक्शानवीस					
3	वरिष्ठ नक्शानवीस (इंटीरियर डैकोरेटर)					
4	वरिष्ठ नक्शानवीस (प्रतिमाकार) (माडलर)					
5	कनिष्ठ नक्शानवीस					
6	सहायक नक्शानवीस					
7	अनुरेखक					
8	फैरोमुद्रक					

1	2	3	4	5	6	7
			सरकार के पास है या संसद या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बंधी पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली			
			(v) वेतन वृद्धियां रोकना			
			(2) बड़ी शास्तियां			
			(vi) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर, ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं;			

1	2	3	4	5	6	7
			(vii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान ग्रेड पद या सेवा पर, जिससे अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतः रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निदेशों के साथ या उसके बिना होगा ।			
			(viii) अनिवार्य सेवा निवृत्ति			
			(ix) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगा।			
			(x) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतः निरर्हता होगी ।			

परिशिष्ट "घ"

[देखिए नियम 14 (2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का नाम	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अंतिम अपील प्राधिकारी यदि कोई हो
1	वास्तुक सहायक				
2	वरिष्ठ नक्शानवीस				
3	वरिष्ठ नक्शानवीस (इंटीरियर डैकोरेटर)	(i) पैंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पैंशन की राशि में कमी करना या रोकना	मुख्य वास्तुक	सरकार	
4	वरिष्ठ नक्शानवीस (प्रतिमाकार)				
5	कनिष्ठ नक्शानवीस				
6	सहायक नक्शानवीस	(ii) अधिवर्षिता के लिये नियत आयु होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति ।			
7	अनुरेखक				
8	फैरोमुद्रक				

किरण अग्रवाल,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
वास्तुकला विभाग ।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

ARCHITECTURE DEPARTMENT

Notification

The 26th October, 1990

No. G.S.R. 72 Cons./Art./309/90.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India. The Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Architecture Technical (Group C) Service namely:—

PART I—GENERAL

Short title

1. These rules may be called the Haryana Architecture Technical (Group C) Service Rules, 1990.

Definitions

2. In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Board" means the Subordinate Services Selection Board, Haryana;

(b) "Chief Architect" means the Chief Architect of the Department of Architecture, Haryana;

(c) "Direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government;

(d) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department;

(e) "Institution" means,

(i) any institution established by law in force in the State of Haryana; or

(ii) any other institution recognised by the Government for the purpose of these rules;

(f) "Recognised University" means,

(i) any University incorporated by law in India; or

(ii) in the case of a degree, diploma or certificate obtained as a result of an examination held before the 15th August 1947, the Punjab, Sind or Dacca University.

or

(iii) any other university which is declared by the Government to be a recognised university for the purpose of these rules,

(g) "Service" means the Haryana Architecture Technical (Group C) Service.

PART II—RECRUITMENT TO SERVICE

Number and Character of post.

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix 'A' to these rules :

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to or reductions in the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay either permanently or temporarily.

Nationality domicile and character of candidates appointed to the service

4. (1) No person shall be appointed to any post in the service, unless he is.

(a) a citizen of India; or

(b) a subject of Nepal ;

(c) a subject of Bhutan; or

(d) a Tribetan refugee who came over to India before the 1st day of January, 1962, with the intention of permanently settling in India; or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African Countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India:

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Board or any other recruiting authority but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the service by direct recruitment unless he produces a certificate of character from the Principal, academic officer of the university, college, school or institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

Age.

5. No person shall be appointed to any post in the service by direct recruitment who is less than seventeen years or more than thirty years of age, on or before the 1st day of August, next preceding the last date of submission of application to the Board.

Appointing authority

6. Appointment to the posts in the service shall be made by Chief Architect.

Qualification

7. No person shall be appointed to any post in the service unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of appointment other than by direct recruitment:

Provided that in the case of direct recruitment the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of the Board or any other recruiting authority in case sufficient number of candidates belonging to scheduled castes, backward classes, ex-serviceman and physically handicapped candidates possessing the requisite experience are not available to fill up the vacancies reserved for them after recording reasons for so doing in writing.

Disqualifications

8. No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any post in the service:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Method of recruitment

9. (1) Recruitment to the Service shall be made;

(a) In the case of Architectural Assistant—

(i) 50% by promotion from amongst Senior Draftsman; or

(ii) 50% by direct recruitment; or

(iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(b) in the case of Senior Draftsman—

(i) by promotion fr om amongst Junior Draftsman, or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(c) in the case of Senior Draftsman (Interior Decorator)—

(i) by direct recruitment; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(d) in the case of Senior Draftsman (Modeller)—

(i) by direct recruitment; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(e) in the case of Junior Draftsman—

(i) 67% by promotion from amongst Assistant Draftsman; and

(ii) 33% by direct recruitment; or

(iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(f) in the case of Assistant Draftsman—

(i) 33% by promotion from amongst Tracers; and

(ii) 67% by direct recruitment; or

(iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(g) in the case of Tracers—

(i) by direct recruitment; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India; and

(h) in the case of Ferro-printer—

(i) by promotion from amongst Ferro-Khalasi; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

(2) All promotions shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

Probation.

10. (1) Persons appointed to any post in the service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise :

Provided that—

(a) any period after such appointment spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;

(b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the Service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and

(c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may—

(a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his service; and

(b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment—

(i) revert him to his former post; or

(ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may—

(a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory—

(i) confirm such person from the date of his appointment if appointed against a permanent vacancy; or

(ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or

(iii) declare that he has completed his probation, satisfactorily, if there is no permanent vacancy; or

(b) if his work or conduct has in its opinion, been not satisfactory—

(i) dispense with his service, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise revert him to his former post; or deal with him in such other manner as the terms and conditions of previous appointment permit; or

(ii) extend his period of probation and there after pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation :

Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

11. Seniority, *inter se* of members of the service shall be determined by the length of continuous service on any post in the service : Seniority

Provided that where there are different cadres in the service, seniority shall be determined separately for each cadre :

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Board, shall not be disturbed in fixing the seniority :

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows—

(a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer ;

(b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer ;

(c) in the case of members appointed by promotion or by transfer seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred ;

(d) In the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment; and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

12. (i) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority. Liability to serve.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under—

(i) A company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation or or a local authority or university within the State of Haryana ;

(ii) the Central Government or a company, an association or a body of individual, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government ; or

(iii) any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government or a private body :

Provided that no member of the service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organisation or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

Pay Leave pension and other matters.

13. In respect of pay, leave pension and all other matters, not expressly provided for in these rules the members of the service shall be governed by such rules, and regulations as may have been or may hereafter be, adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

Discipline, penalties and appeals.

14. (i) In matters relating to discipline, penalties and appeals members of the service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1997, as amended from time to time:

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall subject to the provisions of any law or rules made under article 39 of the Constitution of India, be such, as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) of rule (e) of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, and appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination.

15. Every member of the service, shall get himself vaccinated and revaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance.

16. Every member of the service, unless he has already done so; shall be required to take the oath of allegiance of India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation.

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules, with respect to any class or category persons.

Special provision.

18. Notwithstanding, anything contained in these rules appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment, if it is deemed expedient to do so.

Reservations.

19. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for scheduled castes, backward classes, ex-servicemen, physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time :

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed fifty percent, at any time.

Repeal and saving.

20. Any rule applicable to the service and corresponding to any of these rules which is inforce immediately before the commencement of these rules is hereby repealed :

Provided that any order made or action taken under the rule so repealed shall be deemed to have been made or taken under corresponding provisions of these rules.

APPENDIX 'A'

(*See* rule 3)

Serial No.	Designation of Posts	Number of Posts			Scale of Pay
		Permanent	Temporary	Total	
1	2	3	4	5	6
1	Architectural Assistant	15	—	15	Rs. 1,640—60—2,600—EB—75—2900 + Rs. 100 Special Pay.
2	Senior Draftsman	12	—	12	Rs. 1,640—60—2,600—EB—75—2,900
3	Senior Draftsman (Interior Decorator)	—	1	1	Rs. 1,640—60—2,600—EB—75—2,900
4	Senior Draftsman (Modeller)	2	—	2	Rs. 1,600—50—2,300—EB—60—2,660
5	Junior Draftsman	23	—	23	Rs. 1,600—50—2,300—EB—60—2,660
6	Assistant Draftsman	11	—	11	Rs. 1,400—40—1,800—EB—50—2,300
7	Tracer	11	—	11	Rs. 975—25—1,150—EB—30—1,540.
8	Ferro-Printer	2	—	2	Rs. 950—20—1,150—EB—25—1,500.

APPENDIX 'B'

(*See* rule 7)

Serial No.	Designation of Posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment.
1	2	3	4
1	Architectural Assistant	Diploma in Architectural Assistantship with eight years experience after qualifying	Four years experience as Senior Draftsman
2	Senior Draftsman	—	Four years experience as Junior Draftsman
3	Senior Draftsman (Interior Decorator)	Diploma in Interior Decoration with three years experience, after qualifying	Diploma in Interior Decoration with three years experience
4	Senior Draftsmen (Modeller)	1. Matriculation with five years experience of preparing models in wood, plaster, plastic 2. Should be able to read architectural drawing and translate them in models in wood, card board, plastic and other materials	1. Matric or its equivaient 2. Five years working experience as Modeller
5	Junior Draftsman	Diploma in Architectural Assistantship with two years experience after qualifying	Three years experience as Assistant Draftsman

1	2	3	4
6	Assistant Draftsman	Diploma in Architectural Assistantship	Five years experience as Tracer
7	Tracer	Matric or its equivalent with Drawing from a recognised Board/University Preferential Experience in tracing work or diploma in Architectural Assistantship.	Matric or its equivalent with Drawing from a recognised Board/ University.
8	Ferro-Printer		(i) Five years experience as Ferro-Khalasi. (ii) Matric with four years experience in handling printing machine.
		Note.—(1) In case of direct recruitment experience should be under a qualified Architect wherever mentioned. (2) In case of direct recruitment the departmental candidates possessing Diploma in Civil Draftmanship and experience as mentioned in Column 4 shall be eligible.	

APPENDIX 'C'

[*See* rule 14 (1)]

Serial No.	Designation of Posts	Appointing authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority	Second and final appellate authority, if any
1	2	3	4	5	6	7
1	Architectural Assistant	Chief Architect	(1) Minor Penalties—	Chief Architect	Government	Government
2	Senior Draftsman		(i) warning with a copy in the personal file (character roll);			
3	Senior Draftsman (Interior Decorator)		(ii) censure;			
4	Senior Draftsman (Modellor)		(ii) withholding of promotion;			
5	Junior Draftsman		(iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders, to the Central Government or a State Government or to a Company and association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the			
6	Assistant Draftsman					
7	Tracer					
8	Ferro-Printer					

1	2	3	4	5	6	7
			Government or to a local authority or University set up by an act of Parliament or of the Legislature of a State; and			
			(v) withholding of increments of pay ;			
			(2) Major Penalties—			
			(vi) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increment of his pay;			
			(vii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily			

1	2	3	4	5	6	7
			be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service;			
			(viii) compulsory retirement ;			
			(ix) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government ;			
			(x) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.			

APPENDIX 'D'

[*See* rule 14 (2)]

Serial No.	Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to make the order	Appellate authority	Second and final appellate authority
1	2	3	4	5	6
1	Architectural Assistant	(i) reducing or withholding the amount of ordinary or additional/ pension admissible under the rules governing pension ;	Chief Architect	Government	Government
2	Senior Draftsman				
3	Senior Draftsman (Interior Decorator)	(ii) terminating the appointment otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.			
4	Senior Draftsman (Modeller)				
5	Junior Draftsman				
6	Assistant Draftsman				
7	Tracer				
8	Ferro-Printer				

TIRLOCHAN SINGH,

Financial Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Architecture Department, Chandigarh.

30439—Architecture—Item No. 3—H.G.P., Chd.